

# प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

चौधरी रूपराम निजी आई.टी.आई. में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र

(सत्र:- अगस्त 2023)

नोट:- प्रवेश विवरणिका में दिये गए नियम एवं निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ कर ही अभ्यर्थी प्रवेश आवेदन पत्र भरें

पासपोर्ट साइज़ फोटो

क्रम संख्या.....

REGISTRATION NO.....

आधार संख्या

व्यवसाय

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ELECTRICIAN		PLUMBER	
-------------	--	---------	--

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में).....

अंग्रेजी में (कैपिटल अक्षरों में).....

2. पिता का नाम (हिन्दी में).....

अंग्रेजी में (कैपिटल अक्षरों में).....

3 लिंग: -  पुरुष  महिला

मोबाइल नंबर-

ईमेल आई.डी

4. स्थाई पता (मूल निवास, ग्राम, तहसील, पंचायत समिति, जिला व पिन कोड सहित लिखें).....

प्रमाण पत्र नत्थी संख्या.....

5. जन्म तिथि

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. श्रेणी - ( संबंधित वर्ग /श्रेणी में  $\sqrt{\quad}$ का निशान लगाएँ )

सामान्य	अनु.जाति	अनु.जनजाति	अन्य पिछड़ी जाति	सैनिक श्रेणी	विकलांग	विधवा/तलाक़शुदा	EWS	अल्पसंख्यक

7. शैक्षणिक योग्यता

क्र.सं.	कक्षा	बोर्ड/स्कूल का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	विज्ञान में अंक	गणित में अंक
1	8 <sup>th</sup>						
2	10 <sup>th</sup>						
3	12 <sup>th</sup>					NIL	NIL

8 क्या आपने पूर्व में राज्य के किसी राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लिया है ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो संस्थान का नाम .....व्यवसाय का नाम ..... प्रवेश सत्र.....

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ की 1.आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी सही है। 2. मैं संस्थान के नियमों एवं अनुशासन का पालन करूंगा/करूंगी। 3. मुझे पूर्व में किसी भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से निकाला नहीं गया है। 4. मैंने प्रवेश विवरणिका में दिये गए नियम एवं निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लिए हैं एवं मैं प्रवेश लेने हेतु सभी निर्धारित योग्यताएं रखता /रखती हूँ।

दिनांक.....

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .....के

प्रशिक्षण की अवधि में संस्थान में अनुशासन रखने और व्यय की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है ।

दिनांक.....

पिता/संरक्षक के पूरे हस्ताक्षर

लिपिक के हस्ताक्षर

ह. आचार्य/अधीक्षक

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रावतसर

# नियम व शर्तें

1. संस्थान में शिक्षणार्थियों की उपस्थिति, प्रगति असंतोषजनक व अभद्र व्यवहार होने पर, संस्थान परिसर में मोबाइल का उपयोग करने, संस्थान के नियमों का उल्लंघन करने पर आचार्य/अधीक्षक को छात्रवर्ति बंद करने, रुपये 500/- तक का जुर्माना लगाने, निलंबन करने या संस्थान से नाम प्रथक करने का अधिकार है। विशेष मामलों में संबंधित उपनिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, की अनुमति से पर प्रथक किये गये प्रशिक्षणार्थी को पुनः प्रवेश केवल उसी परिस्थिति में होगा जब उसकी उपस्थिति परीक्षा से पूर्व नियमानुसार पूर्ण होनी संभावित होगी। संस्थान से नाम प्रथक करने की अवधि को अनुपस्थिति में गिना जाएगा।
2. विधार्थी द्वारा दिये गये विवरण को गलत पाये जाने पर उसको संस्थान से निकाला जा सकता है।
3. विधार्थी को संस्थान द्वारा निर्धारित पौशाक पहनकर ही आना होगा।
4. किसी भी प्रकार की छात्रवर्ती प्राप्त करने के लिए उस माह की प्रोग्रेसिव उपस्थिति 80% होना जरूरी है।
5. निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में परस्पर स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
6. नियमित कक्षाएँ दिनांक 01 सितम्बर से प्रारम्भ होगी।
7. नियमित कक्षाएँ प्रारम्भ होने की दिनांक से 15 दिन तक लगातार बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले प्रवेशार्थी का नाम संस्थान से प्रथक कर दिया जाएगा तथा उपलब्ध स्थानों का अधिकतम सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु रिक्त स्थान पर नियमानुसार अन्य छात्र को प्रवेश दे दिया जाएगा।
8. प्रवेश के इच्छुक विधार्थी को नियमानुसार शुल्क प्रवेश के समय जमा करना होगा। निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
9. प्रवेश के इच्छुक विधार्थी को संस्थान की सम्पूर्ण शुल्क अधिकतम 4 किस्तों में जमा करवानी होगी।
10. परीक्षा में केवल फ़ैल विधार्थी को ही पुनःपरीक्षा शुल्क (supplementary exam) की फीस अलग से देनी होगी।

**नोट:- फीस जमा करवाने का समय इस प्रकार होगा:-**

प्रथम किस्त - प्रवेश के समय

द्वितीय किस्त - फरवरी माह में

तृतीय किस्त - अगस्त/ सितम्बर माह में (द्वितीय वर्ष में प्रवेश के समय)

चतुर्थ किस्त - फरवरी माह में (द्वितीय वर्ष में)

कार्यालय उपयोग

शुल्क विवरण	
1. प्रवेश शुल्क .....	हस्ताक्षर प्रशिक्षणार्थी  हस्ताक्षर पिता/संरक्षक
2. प्रथम वर्ष शुल्क .....	
3. प्रथम वर्ष परीक्षा शुल्क .....(परीक्षा से एक माह पहले)	
4. द्वितीय वर्ष शुल्क .....	
5. द्वितीय वर्ष परीक्षा शुल्क ..... (परीक्षा से एक माह पहले)	
6. पुस्तक/ स्टेशनरी शुल्क ..... कुल शुल्क.....	

11. विधार्थी द्वारा दिये गये विवरण गलत पाये जाने पर उसका प्रवेश स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा।
12. आवेदन में कमियों की पूर्ति के अभाव में आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा।
13. संस्थान परिसर में छात्र व छात्राओं को मोबाइल फोन का उपयोग सख्त मना है।
14. संस्थान में समय पर पहुँचना अनिवार्य है।
15. संस्थान में बिना बताए लगातार तीन दिन अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षणार्थी पर 50 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना देना होगा।
16. मैंने संस्थान द्वारा लिखित उपरोक्त नियम भली-भाँति पढ़ व समझ लिए हैं। अगर इन सब नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो आचार्य/अधीक्षक महोदय को यह अधिकार होगा की वो प्रवेश स्वतः निरस्त कर दे।

प्रशिक्षणार्थी के हस्ताक्षर मय पता

.....

.....

मो. नंबर .....

पिता/ संरक्षक के हस्ताक्षर मय पता

.....

.....

मो. नंबर .....